प्राचार्य कार्यालय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

बस हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

दिनांक–20.06.2024 को आहूत क्रय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक कार्य तथा अन्य सरकारी कार्य हेतु एक वर्ष के लिए वाहय श्रोत से किराये पर 32 (बत्तीस) सीट वाली 01 (एक) CNG/Petrol/Diesel (Non A.C.) बस की सेवा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार परिवहन विभाग से निबंधित वाहन मालिकों/एजेन्सी/फर्मों/N.G.O. से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में बन्द कर पुनः उसे एक बड़े लिफाफा में मुहरबन्द कर Sealed निविदा निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन के शाम 5:00 बजे तक निविदा आमंत्रित किया जाता है। दोनों अलग–अलग लिफाफा के ऊपर क्रमशः **"तकनीकी निविदा– 32 (बत्तीस) सीट वाली बस की निविदा"** एवं **"वित्तीय निविदा– 32 (बत्तीस) सीट वाली बस की निविदा "**लिखा होना चाहिए एवं इन दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे के अन्दर डालकर उसे सील करके उसके ऊपर **"निविदा : 32 (बत्तीस) सीट वाली बस की निविदा हेतु 'राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण, बेतिया"** लिखा होना चाहिए। **तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग होगी।**

21वें दिन अगर किसी प्रकार का अवकाश रहता है या किसी अपिरहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बन्द रहता है, तो उसके अगले दिन शाम 05:00 बजे तक निविदा प्राप्त की जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं स्वतः रद्द समझा जाएगा। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के एक दिन पश्चात् दुसरे दिन (उदाहरण स्वरूप :– अगर निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 तारीख हो तो 17 तारीख को खोली जाएगी) कार्यालय कार्य दिवस एवं कार्य अवधि में तकनीकी निविदा, क्रय समिति के समक्ष 12:00 बजे दिन में खोली जाएगी, जिसमें आप स्वयं या आपके द्वारा प्राधिकृत्त प्रतिनिधि प्राधिकार–पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड) के साथ भाग ले सकते है। निविदा के नियम एवं शर्तें प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21वें दिनों के अन्दर किसी भी कार्य दिवस के दिन कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। इसे संस्थान के वेबसाइट www.gmcbetiah.org पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र० सं०	मदवार निविदा का नाम	अग्रधन की राशि
1.	बस (32 बत्तीस सीट वाली) CNG/Petrol/Diesel (Non A.C.)	50,000/–

3.9.24

प्राचार्य
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

13/09/24

नियम एव शर्त्ते

1. निविदादाता के फर्म/एजेंसी/एन०जी०ओ० का नाम पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तथा ई–मेल आईडी एवं वेबसाईट का उल्लेख निविदा में करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा कम्प्यूटराईज्ड अंकित होना अनिवार्य होगा। हस्तलिखित, काट–कूट या लिप्त–लेपन वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. बस का संचालन कॉलेज के शैक्षणिक कार्यक्रम के आवश्यकता अनुसार होगा। (समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
4. बस तीन वर्ष (01.03.2024 की तिथि तक) के अन्दर का जिला परिवहन कार्यालय में निबंधित हो एवं सभी तरह से दुरुस्त हो। पर्यटन विभाग से निबंधित बस एवं अपेक्षाकृत नयी गाड़ी को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. बस संचालन हेतु कर्मी, टैक्स, किसी प्रकार की मरम्मती की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा।
6. पूर्व में किसी भी विद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/परिवहन अथवा सरकारी कार्यालय में बस संचालन से संबंधित कार्य अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. पूर्व में ट्रांसपोर्ट संबंधी कार्य का ऑडिट (अंकेक्षण) प्रतिवेदन देने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. बस का संचालन अद्योहस्ताक्षरी के आदेशानुसार होगा। दिये गये समय पर निविदादाता द्वारा परिचालन उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिदिन 10,000.00 हजार रूपये की दर से जुर्माना भरना होगा, जुर्माना की राशि कटौती कर शेष राशि का भुगतान की जायेगी।
9. सभी तरह के कर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौती के बाद ही भुगतान देय होगा।
10. किसी प्रकार की अनियमितता/आदेश अवहेलना या चालक को नशा के हालत में पकड़े जाने पर रू० 1000 से रू० 2000 तक आर्थिक दण्ड जो उसी माह के भुगतान से कटौती करते हुए उक्त चालक के विरूद्ध आपको कानुनी कार्यवाही करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को इसकी सूचना देनी होगी।

तकनीकी निविदा

1. तकनीकी निविदा में निविदादाता को बिहार सरकार परिवहन विभाग से उक्त वाहन का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता या एजेन्सी को आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन आयकर भुगतान तथा रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. किसी न्यायालय में किसी प्रकार का सिविल/आपराधिक मुकदमा लम्बित न हो इस संबंध में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी से सत्यापित शपथ–पत्र की मूलप्रति।
4. फर्म/एजेन्सी का पैन कार्ड की छायाप्रति एवं तीन वर्षों का रिटर्न प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. अग्रधन राशि मो०– 50,000 (पचास हजार) रू० का बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति जो प्राचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के पदनाम से देय होगा। अनुमोदित निविदादाता का अग्रधन राशि का दर अनुमोदन पश्चात् जमानत राशि के रूप में जमा रहेगा तथा अन्य निविदादाता की अग्रधन राशि लौटा दी जायेगी। Selected निविदादाता को एकरारनामा समाप्त हो जाने पर जमानत की राशि लौटा दी जाएगी बशर्ते कि कोई देनदारी निविदादाता से नहीं हो।
6. वाहन का रोड टैक्स के अदायगी का अद्यतन प्रमाण–पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
7. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. गाड़ी का पंजीकरण एवं बीमा संबंधी पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. गाड़ी का व्यवसायिक पंजीकरण संबंधी कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. काली सूची में दर्ज नहीं होने का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा

1. वित्तीय निविदा में बस का भाड़ा (चालक+खलासी परिचालन सहित) प्रति किलोमीटर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भाड़े का दर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

अन्य शर्त्ते

1. आवश्यकता पड़ने पर प्रतिमाह 500 (पाँच सौ) किलोमिटर से अधिक बस चलने पर M.V.I. द्वारा स्वीकृत ईंधन खपत की आपूर्ति महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।
2. बस यथा संभव नया देना पड़ेगा।
3. सफलीभूत निविदादाता को कार्यादेश निर्गत के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।
4. निविदादाता द्वारा वाहन पर दिये जाने वाले चालक का उम्र 35 वर्ष से ऊपर होना अपेक्षित होगा। एकरारनामा के समय चालक के Commercial ड्राईवरी लासेन्स एवं ड्राईवर से उम्र संबंधित प्रमाण–पत्र तथा किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने, आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा।
5. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
6. बस में अग्निशमन यंत्र, Emergency Bell, CCTV Camera लगाना तथा Motor Vehicle के अनुरूप बसों को पेंटिंग इत्यादि का कार्य कराना अनिवार्य होगा।
7. प्रतिदिन बस संचालन के उपरान्त लॉग बुक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
8. किसी प्रकार के विवाद का निपटारा बेतिया के न्यायालय से होगा।
9. फर्म/एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी को श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी एवं अन्य सुविधाएँ देना अनिवार्य होगा।
10. यह अनुबंध (11) ग्यारह माह के लिए वैध होगा। कार्यों की समीक्षा के बाद इस अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कार्य आदेश किसी भी माह में दिया जा सकता है।
11. क्रय समिति द्वारा अनुशंसित L_1 निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व रू० 1000.00 (एक हजार) रूपये का नन् जुडिशियल स्टाम्प पेपर एकरारनामा करने हेतु उपलब्ध कराना होगा। तदोपरान्त कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
12. अन्य निदेश कार्यालय के वेबसाइट WWW.gmcbettiah.org पर देखी जा सकती है।

13-9-24

प्राचार्य,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

13/09/24